FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी..........

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भंवरसिंह वल्द सगेलसिंह जाति रावणा राजपुरा निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. वद्रीसिंह पुत्र सगेलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार गुड़ामालानी

मु0नं0...212 / 23.

किस्म मुकदमा......धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
31.10.2023	प्रार्थी भंवरसिंह की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री पूनमाराम विश्नोई द्वारा विप्रार्थीगण वद्रीसिंह वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 182 रकबा 1.8777 हैक्टेयर की अवस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी को विरासत के रूप में प्राप्त हुई है तथा भाईयों से बंटवाडा होकर अलग हो चुकी है, जिस पर प्रार्थी का ही आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी में रहवासी ढाणी पानी के टांके पशु बाड़े आदि बने हुए हैं। प्रार्थी की उक्त आराजी के सेढा सेड विप्रार्थी की भूमि आई हुई है। विप्रार्थी संख्या 1 जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सेढा तोड़कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में कब्जा करने पर आमादा है। यदि विप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में प्रस्तुत किया गया है। जिसके निस्तारण में समय लगना सम्भव है अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पूनमाराम विश्नोई से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड अनुसार प्रार्थी उक्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में निहित है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायाहित में आराजी [illegible] आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषे[illegible] पा[illegible] किया जाता है कि ग्राम आलपुरा तहसील गु[illegible] में खेत ख[illegible] नम्बर 182 रकबा 1.8777 हैक्टेयर बीघा की प्रार्थी की खातेदारी [illegible] किसी प्रकार की दखल[illegible] नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाए [illegible]। विप्रार्थीगण को सम्मन होकर पत्रावली दिनांक 03.01.2023 को पेश हो। (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण / विप्रार्थीगण (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:35:26 IST
Reason: SelfAttested

स्थगन विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 प्राप्त किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि द्वारा उक्त स्थगन आदेश अप्रार्थी संख्या 1 की नेखमबन्दी कार्यवाही आदेश के पश्चात प्राप्त किया है। इससे न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रार्थी द्वारा स्थगन प्राप्त करने की मंशा अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त नेखमबन्दी कार्यवाही को जाने की रही है। प्रार्थी के वाद पत्र का निर्णय बाद जबाव व साक्ष्य तय होना है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 की नेखमबन्दी कार्यवाही इस स्थगन की आड़ में रोका जाना न्यायालय उचित नहीं समझती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता वास्तु स्थगन में शिथिलता देने बाबत् स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 31.10.2023 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 182/3 रकबा 1.7806 हैक्टेयर वांके ग्राम आलपुरा तहसील गुढामालानी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2023 की नेखमबन्दी कार्यवाही के लिये निष्प्रभावी किया जाता है। शेष स्थगन यथावत। पत्रावली वास्ते जबाव अप्रार्थी संख्या 1 व गौर तामीली अप्रार्थी संख्या 2 दिनांक 04.07.2024 को पेश हो।

04/07/24 पत्रावली आज पेश हुई। वकील पक्षकारान अनुपस्थित। पक्षकारान की ओर से अधिवक्ता कोई हाजिर नहीं। तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। परन्तु आवाजें दिलाने के पक्षकारान व पक्षकारान के अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः उक्त उपस्थित प्रकरण पक्षकारान की [illegible] पैरवी के [illegible] खारिज [illegible] है। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:35:26 IST
Reason: SelfAttested